रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

10

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2015, शनिवार/भाद्र 22—भाद्र 28, 1937
No. 18] NEW DELHI, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2015, SATURDAY/ BHADRA 22—BHADRA 28, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed asA separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2015

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी), भर्ती नियम, 1989, तथा रक्षा लेखा विभाग (अनुभाग अधिकारी(लेखा), भर्ती नियम, 2008, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, सहायक लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- यह नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :-** उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** - वह व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक लेखा अधिकारी	3690*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.	चयन	30 वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल एवं स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नत द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर की डिग्री **वांछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से वाणिज्य स्नातक या आईसीडब्ल्यूए या सीए या सीएस। **टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए तथा समूह 'ग' से प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** समूह 'ख' से प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण 1:** सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर की जाएगी। **टिप्पण 2 :** सीधी भर्ती से आए अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियमित नियुक्ति एवं स्थायीकरण हेतु अधिकारी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान "अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा" अर्हित करनी होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
11	12	13
प्रोन्नति :- विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने रक्षा लेखा महानियंत्रक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित "अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा" उत्तीर्ण की हो **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** (i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत किसी अन्य लेखा कार्यालय से सहायक लेखा अधिकारी या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारीवृन्द; या (ii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत किसी अन्य लेखा परीक्षा कार्यालय से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारीवृन्द; या (iii) केन्द्रीय सरकार के असंगठित लेखा संवर्ग के अंतर्गत सदृश पद धारण करने वाले पदधारी, जिन्होंने अधीनस्थ लेखा सेवा या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य काडर के बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	**प्रोन्नति पर विचार करने के लिए, समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :-** **कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, मुख्यालय के लिए :-** (1) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक(प्रशासन)- अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक- सदस्य (3) रक्षा लेखा ज्येष्ठ सहायक महानियंत्रक या रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक – सदस्य **रक्षा लेखा महानियंत्रक मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों के लिए** (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक - अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक- सदस्य (3) रक्षा लेखा उप नियंत्रक/रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (प्रशासन) – सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के विचारार्थ की संरचना :-** **कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, मुख्यालय के लिए :-**	सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/ आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01.01.2006/वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके जहाँ एक पूर्व पुनरीक्षित सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान चाहिए एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहाँ यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	(1) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक(प्रशा.) – अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक- सदस्य (3) रक्षा लेखा ज्येष्ठ सहायक महानियंत्रक या रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक – सदस्य **रक्षा लेखा महानियंत्रक मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों के लिए** (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक - अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक- सदस्य (3) रक्षा लेखा उप नियंत्रक/रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (प्रशासन) – सदस्य	

[फा. सं. 9(1)/सी/2010]

देविका रघुवंशी, संयुक्त सचिव व अपर वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 1st September, 2015

S.R.O. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Assistant Accounts Officer), Recruitment Rules, 1989, and the Defence Accounts Department, (Section officer, Accounts), Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Accounts Officer in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Assistant Accounts Officer, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post(s) specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**- No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Accounts Officer	3690*(2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band- 2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs.4800.	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakhadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bachelor's Degree from a recognized University. **Desirable:** Commerce Graduate or ICWA or CA or CS from a recognized Institutes or Organization. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits and Group 'C' promotees. **Note:** No probation for Group 'B' Promotees.	By Promotion, failing which by deputation/absorption failing both by direct recruitment. **Note 1:** The direct recruits will be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Union Public Service Commission. **Note 2:** Direct recruits will be appointed as Assistant Accounts Officer on probation for a period of two years. During the period of probation the officer shall have to qualify the "Subordinate Accounts Service Examination" for confirmation and regular appointment as Assistant Accounts Officer.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Departmental candidates who have passed the "Subordinate Accounts service examination" conducted by the Controller General of Defence Accounts or any authority specified by him. **Deputation/absorption** (i) Assistant Accounts Officer or Subordinate Accounts Service Examination passed staff from any other accounts office under Central Government; or (ii) Assistant Audit Officer or Subordinate Audit Service Examination passed staff from any other audit office under Central Government; or (iii) Officials holding analogous post(s) under unorganized Accounts Cadre of Central Government, who have qualified Subordinate Accounts Service or any equivalent examination. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee for Considering Promotion consisting of :-** **For the office of the Controller General of Defence Accounts Head Quarters: -** (1) Joint Controller General of Defence Accounts (Administration) -Chairman (2) Senior Deputy Controller General of Defence Accounts or Deputy Controller General of Defence Accounts - Member (3) Senior Assistant Controller General of Defence Accounts or Assistant Controller General of Defence Accounts -Member **For offices other than the Controller General of Defence Accounts Head Quarters:-** (1) Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts -Chairman (2) Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts - Member. (3) Deputy Controller of Defence Accounts / Assistant Controller of Defence Accounts (Administration) - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee for Considering Confirmation consisting of :-** **For the office of the Controller General of Defence Accounts Head Quarters: -** (1) Joint Controller General of Defence Accounts (Administration) -Chairman (2) Senior Deputy Controller General of Defence Accounts or Deputy Controller General of Defence Accounts - Member (3) Senior Assistant Controller General of Defence Accounts or Assistant Controller General of Defence Accounts -Member **For offices other than the Controller General of Defence Accounts Head Quarters :-** (1) Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts - Chairman (2) Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts - Member. (3) Deputy Controller of Defence Accounts or Assistant Controller of Defence Accounts(Administration) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on Deputation/Absorption.

[F. No. 9(1)/C/2010]

DEVIKA RAGHUVANSHI, Jt. Secy. & Addl. Financial Advisor

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मई 13—मई 19, 2018, शनिवार/वैशाख 23—वैशाख 29, 1940
No. 10] NEW DELHI, MAY 13—MAY 19, 2018, SATURDAY/ VAISAKHA 23— VAISAKHA 29, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

का.नि.आ. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 जिसे(इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) के स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 8 (47600-151100 रु.)".

4. स्तंभ (11) में, उप-शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति/आमेलन' के अधीन टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9(6)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 तारीख 1 सितम्बर, 2015 में का.नि.आ. सं. 34 तारीख 19 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 19th May, 2018

S.R.O. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Assistant Accounts Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 2015 [hereinafter referred to or the said rules], for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule."

3. In the Schedule to the said rules,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

" Level in pay matrix
(4)
Level 8 (Rs.47600-151100)."

4. in column (11), under sub-heading 'Deputation/Absorption' Note-2 shall be omitted.

[F. No. 9(6)/C/2017]

R. K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note : The principal rules dated the 1st September, 2015 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 34 dated the 19th September, 2015.